



सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955

(जिसे पहले अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 कहा जाता था)

(1955 का अधिनियम संख्यांक 22)

[1 सितम्बर, 1977 को यथाविद्यमान]

The Protection of Civil Rights Act, 1955

(Formerly known as Untouchability (Offences) Act, 1955)

(Act No. 22 OF 1955)

[As on the 1st September, 1977]

PREFACE TO THE FIRST EDITION

This is a diglot edition of the Untouchability (Offences) Act, 1955 as on the 1st November, 1970 containing the authoritative Hindi text thereof along with its English text. The Hindi text of the Act was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 1 A, No. 34, Vol. V, dated 23rd August, 1969 on pages 349 to 354.

This Hindi text was prepared by the Official Language (Legislative) Commission and it was published under the authority of the President under section 5(1) of the Official Languages Act, 1963, and on such publication, it became the authoritative text of that Act in Hindi.

NEW DELHI,
1ST NOVEMBER, 1977.

N.D.P. NAMBOODIRIPAD,
Joint Secretary to the Government of India.

PREFACE TO THE SECOND EDITION

With effect from 19-11-1976 the name of the Untouchability (Offences) Act, 1955 has been changed to Protection of Civil Rights Act, 1955. As all the copies of the first diglot edition have been sold the second edition is being published, incorporating the amendments made in it till 1st June, 1977. The present edition also gives legislative history of the Act.

NEW DELHI,
1ST JUNE, 1977.

K.K. SUNDARAM,
Secretary to the Government of India.

AMENDING ACT

1. The Untouchability (Offences) Amendment Act, 1976 (106 of 1976)

प्रथम संस्करण का प्राक्कथन

यह 1 नवम्बर, 1970 को यथाविद्यमान अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 का द्विभाषीय संस्करण है। इसमें अधिनियम का प्राधिकृत हिन्दी पाठ, उसके अंग्रेजी पाठ सहित, दिया गया है। अधिनियम का हिन्दी पाठ तारीख 23 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 1क, संख्या 34, खण्ड V में पृष्ठ 349 से 354 में प्रकाशित हुआ था।

इस हिन्दी पाठ को राजभाषा (विधायी) आयोग ने तैयार किया था और यह राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5(1) के अधीन राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित हुआ और इस प्रकार प्रकाशित होने पर, उस अधिनियम का अब यह हिन्दी में प्राधिकृत पाठ है।

नई दिल्ली,
1 नवम्बर, 1970

एन० सी० श्री० मन्मूदिरिवाव,
संयुक्त सचिव, भारत सरकार।

द्वितीय संस्करण का प्राक्कथन

अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 का नाम 19-11-1976 से सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 हो गया है। इस अधिनियम के प्रथम द्विभाषीय संस्करण की प्रतियां बिक गई हैं इसलिए इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। प्रस्तुत पाठ में 1 जून, 1977 तक के सभी संशोधनों का समावेश कर दिया गया है। इस संस्करण में अधिनियम का विधायी इतिहास भी दिया गया है।

नई दिल्ली,
1 जून, 1977

के० के० सुन्दरम्,
सचिव, भारत सरकार।

संशोधन अधिनियम

1. अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन अधिनियम, 1976 (1976 का 103)।

THE PROTECTION OF CIVIL RIGHTS ACT, 1955

(ACT NO. 22 OF 1955)

[3th May, 1955]

An Act to prescribe punishment for the '[preaching and practice of "Untouchability"]' for the enforcement of any disability arising therefrom and for matters connected therewith.

Enacted by Parliament in the Sixth Year of the Republic of India as follows:—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called '[the Protection of Civil Rights Act], 1955.

(2) It extends³ to the whole of India.

(3) It shall come into force on such date⁴ as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

'[(a) "civil rights" means any right accruing to a person by reason of the abolition of "untouchability" by article 17 of the Constitution;]

'[(aa) "hotel" includes a refreshment room, a boarding house, a lodging house, a coffee house and a cafe;

'[(b) "place" includes a house, building and other structure and premises; and also includes a tent, vehicle and vessel;]

(c) "place of public entertainment" includes any place to which the public are admitted and in which an entertainment is provided or held.

Explanation.—"Entertainment" includes any exhibition, performance, game, sport and any other form of amusement;

(d) "place of public worship" means a place, by whatever name known, which is used as a place of public religious worship or which is dedicated generally to, or is used generally by, persons professing any religion or belonging to any religious denomination or any section

1. Subs. by Act 106 of 1976, s. 2, for "practice of Untouchability" (w.e.f. 19-11-1976).

2. Subs. by s. 3, *ibid.*, for "the Untouchability (Offences) Act" (w.e.f. 19-11-1976).

3. Extended to Goa, Daman and Diu with modification by Regulation 12 of 1962, section 3 and Schedule to Dadra and Nagar Haveli by Regulation 6 of 1963, section 2 and Schedule I (with effect from 1st July, 1965) and to Pondicherry by Regulation 7 of 1963, section 3 and Schedule I (with effect from 1st October, 1963).

4. 1st June, 1955, *vide* Notification No. S.R.O., 1109, dated the 23rd May, 1955; Gazette of India, 1955, Extraordinary, Part II, Section 3, Page 1971.

5. Ins. by Act 106 of 1976, s. 4 (w.e.f. 19-11-1976).

6. Clause (a) was relettered as clause (aa) by s. 4, *ibid.*, (w.e.f. 19-11-1976).

7. Subs. by s. 4 *ibid.*, for cl. (b) (w.e.f. 19-11-1976).

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955

(1955 का अधिनियम संख्यांक 22)

[3 मई, 1953]

1[“अस्पृश्यता” का प्रचार और आचरण करने] और उससे संबंधी किसी विधेयता को लागू करने, और उससे सम्बन्धित बातों के लिए दण्ड विहित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छठे वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) यह अधिनियम 2[सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम], 1955 कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार³ सम्पूर्ण भारत पर है।
(3) यह उस तारीख⁴ को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं।

6[(क) “सिविल अधिकार” से कोई ऐसा अधिकार अभिप्रेत है, जो संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा “अस्पृश्यता” का अन्त कर दिए जाने के कारण किसी व्यक्ति को प्रोद्भूत होता है;]

6[(कक)] “होटल” के अन्तर्गत जलपान-गृह, भोजनालय, बासा, काफी हाउस और काफ़े भी हैं;

7[(ख) “स्थान” के अन्तर्गत गृह, भवन और अन्य संरचना तथा परिसर हैं और उसके अन्तर्गत तम्बू, यान और जलयान भी हैं;]

(ग) “लोक मनोरंजन-स्थान” के अन्तर्गत कोई भी ऐसा स्थान है जिसमें जनता को प्रवेश करने दिया जाता है और जिसमें मनोरंजन की व्यवस्था की जाती है या मनोरंजन किया जाता है।

स्पष्टीकरण—“मनोरंजन” के अन्तर्गत कोई प्रदर्शनी, तमाशा, खेलकूद, क्रीड़ा और किसी अन्य प्रकार का आशोद भी है;

(घ) “लोक पूजा-स्थान” से, चाहे जिस नाम से ज्ञात, ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जो धार्मिक-पूजा के सांज्जिक स्थान के तौर पर उपयोग में लाया जाता है या जो वहां कोई धार्मिक सेवा या प्रार्थना करने के लिए, किसी धर्म को मानने वाले या किसी धार्मिक सम्प्रदाय या उसके

1. 1976 के अधिनियम सं० 106 की धारा 2 द्वारा (19-11-1976 से) “अस्पृश्यता” का आचरण करने के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1976 के अधिनियम सं० 106 की धारा 3 द्वारा (19-11-1976 से) “अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1962 के विनियम सं० 12 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा उपांतरों सहित भोवा, दयण और हीम पर, और 1963 की विनियम सं० 6 की धारा 2 तथा अनुसूची 1 द्वारा (1 जुलाई, 1965 से) दादरा और नगर हवेली पर, और 1963 के विनियम सं० 7 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा (1 अक्टूबर, 1963 से) पच्छिमेरी पर, विस्तार किया गया है।
4. 1 जून, 1955, देखिए अधिसूचना सं० कानूनी नियम आदेश, 1109, तारीख 23 मई, 1955, भारत का राजपत्र (अधे.), 1955, असाधारण, भाग 2, धारा 3, पृष्ठ 1971।
5. 1976 के अधिनियम सं० 106 की धारा 4 द्वारा (19-11-1976 से) अन्तःस्थापित।
6. 1976 के अधिनियम सं० 106 की धारा 4 द्वारा (19-11-1976 से) खण्ड (क) को खण्ड (कक) के रूप में पुनः संशोधित किया गया।
7. 1976 के अधिनियम सं० 106 की धारा 4 द्वारा (19-11-1976 से) खण्ड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

thereof, for the performance of any religious service, or for offering prayers therein; "land" includes—

- (i) all lands subsidiary shrines appurtenant or attached to any such place,
- (ii) a privately owned place of worship which is, in fact, allowed by the owner thereof to be used as a place of public worship, and
- (iii) such land or subsidiary shrine appurtenant to such privately owned place of worship as is allowed by the owner thereof to be used as a place of public religious worship;]

[(*dc*) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(*db*) "Scheduled Castes" has the meaning assigned to it in clause (24) of article 366 of the Constitution;]

(*e*) "shop" means any premises where goods are sold either wholesale or by retail or both wholesale and by retail "land includes—

- (i) any place from where goods are sold by a hawker or vendor or from a mobile van or cart,
- (ii) a laundry and a hair cutting saloon,
- (iii) any other place where services are rendered to customers].

Punishment for enforcing religious disabilities.

3. Whoever on the ground of "untouchability" prevents any person—

- (*a*) from entering any place of public worship which is open to other persons professing the same religion * * * of any section thereof, as such person; or
- (*b*) from worshipping or offering prayers or performing any religious service in any place of public worship, or bathing in, or using the waters of, any sacred tank, well, spring or water-course [river or lake or bathing at any ghat of such tank, water-course, river or lake] in the same manner and to the same extent as is permissible to the other persons professing the same religion * * * or any section thereof, as such person;

[shall be punishable with imprisonment for a term of not less than one month and not more than six months and also with fine which shall be not less than one hundred rupees and not more than five hundred rupees].

Explanation.—For the purposes of this section and section 4 persons professing the Buddhist, Sikh or Jaina religion or persons professing the Hindu religion in any of its forms or developments including Virashaivas, Lingayats, Adavasias, followers of Brahma, Prarthana, Arya Samaj and the Swaminarayan Sampraday shall be deemed to be Hindus.

1. Subs. by Act 105 of 1976, s. 4 for certain words (w.e.f. 19-11-1976).

2. Ins. by Act 105 of 1976; s. 4 (w.e.f. 19-11-1976).

3. The words "or belonging to the same religious denomination" omitted by s. 5, *ibid.*, w.e.f. 19-11-1976).

4. Ins. by s. 5, *ibid.*, (w.e.f. 19-11-1976).

5. Subs. by s. 3, *ibid.*, for certain words (w.e.f. 19-11-1976).

किसी विभाग के व्यक्तियों को साधारणतः समर्पित किया गया है या उनके द्वारा साधारणतः उपयोग में लाया जाता है, ¹[और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं :—

- (i) ऐसे किसी स्थान के साथ अनुलग्न या संलग्न सब भूमि और गौण पवित्र-स्थान;
- (ii) निजी स्वामित्व का कोई पूजा-स्थान जिसका स्वामी वस्तुतः उसे लोक पूजा-स्थान के रूप में उपयोग में लाने की अनुज्ञा देता है ; और
- (iii) ऐसे निजी स्वामित्व वाले पूजा-स्थान से अनुलग्न ऐसी भूमि या गौण पवित्र-स्थान, जिसका स्वामी उसे लोक धार्मिक पूजा-स्थान के रूप में उपयोग में लाने की अनुज्ञा देता है ;]

²[(घक) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(घख) "अनुसूचित जाति" का वही अर्थ है जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (24) में उसे दिया गया है ;]

(ङ) "दुकान" से कोई ऐसा परिसर अभिप्रेत है, जहां वस्तुओं का या तो थोक या फुटकर या थोक और फुटकर दोनों प्रकार का विक्रय किया जाता है ¹[और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं, अर्थात्:—

- (i) कोई ऐसा स्थान जहां फेरीवाले या विक्रेता द्वारा या चलते-फिरते यान या गाड़ी से माल का विक्रय किया जाता है ;
- (ii) लांडी और बाल काटने का सेलून ;
- (iii) कोई अन्य स्थान जहां ग्राहकों की सेवा की जाती है ।]

3. जो कोई किसी व्यक्ति को,—

- (क) किसी ऐसे लोक पूजा-स्थान में प्रवेश करने से, जो उसी धर्म को मानने वाले ³* * * धार्मिक निर्वाण्यताएं लागू करने के लिए दण्ड्य।
- (ख) किसी लोक पूजा-स्थान में पूजा या प्रार्थना या कोई धार्मिक सेवा अथवा किसी पुनीत तालाब, कुएं, जलस्रोत या ⁴[जल-सरणी, नदी या झील में स्नान या उसके जल का उपयोग या ऐसे तालाब, जल-सरणी, नदी या झील के किसी घाट पर स्नान] उसी रीति से और उसी विस्तार तक करने से, जिस रीति से और जिस विस्तार तक ऐसा करना उसी धर्म को मानने वाले ³* * * या उसके किसी विभाग के अन्य व्यक्तियों के लिए अनुज्ञेय हो, जिसका वह व्यक्ति हो,

"अस्पृश्यता" के आधार पर निवारित करेगा ⁵[वह कम से कम एक मास और अधिक से अधिक छह मास की अवधि के कारावास से और ऐसे जुर्माने से भी, जो कम से कम एक सौ रुपए और अधिक से अधिक पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा] ।

स्पष्टीकरण—इस धारा और धारा 4 के प्रयोजनों के लिए बौद्ध, सिक्ख या जैन धर्म को मानने वाले व्यक्ति या हिन्दू धर्म के किसी भी रूप या विकास को मानने वाले व्यक्ति, जिनके अन्तर्गत वीरशैव, लिगायत, आदिवासी, ब्राह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज और स्वामी नारायण सम्प्रदाय के अनुयायी भी हैं, हिन्दू समझे जाएंगे ।

1. 1976 के अधिनियम सं० 106 की धारा 4 द्वारा (19-11-1976 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 1976 के अधिनियम सं० 106 की धारा 4 द्वारा (19-11-1976 से) अन्तःस्थापित ।
3. 1976 के अधिनियम सं० 106 की धारा 5 द्वारा (19-11-1976 से) "या उसी धार्मिक सम्प्रदाय" शब्दों का लोप किया गया ।
4. 1976 के अधिनियम सं० 106 की धारा 5 द्वारा (19-11-1976 से) अन्तःस्थापित ।
5. 1976 के अधिनियम सं० 106 की धारा 5 द्वारा (19-11-1976 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

Punishment for enforcing social disabilities.

4. Whoever on the ground of "untouchability" enforces against any person any disability with regard to—

- (i) access to any shop, public restaurant, hotel or place of public entertainment; or
- (ii) the use of any utensils, and other articles kept in any public restaurant, hotel, *dharmshala*, *sarai* or *musafirkhana* for the use of the general public or of '[any section thereof]; or
- (iii) the practice of any profession or the carrying on of any occupation, trade or business ²[or employment in any job]; or
- (iv) the use of, or access to, any river, stream, spring, well, tank, cistern, water-tap or other watering place, or any bathing ghat, burial or cremation ground, any sanitary convenience, any road, or passage, or any other place of public resort which other members of the public, or '[any section thereof], have a right to use or have access to; or
- (v) the use of, or access to, any place used for a charitable or a public purpose maintained wholly or partly out of State funds or dedicated to the use of the general public or '[any section thereof]; or
- (vi) the enjoyment of any benefit under a charitable trust created for the benefit of the general public or of '[any section thereof]; or
- (vii) the use of, or access to, any public conveyance; or
- (viii) the construction, acquisition, or occupation of any residential premises in any locality, whatsoever; or
- (ix) the use of any *dharmshala*, *sarai* or *musafirkhana* which is open to the general public, or to '[any section thereof]; or
- (x) the observance of any social or religious custom, usage or ceremony or ³[taking part in, or taking out, any religious, social or cultural procession]; or
- (xi) the use of jewellery and finery;

[shall be punishable with imprisonment for a term of not less than one month and not more than six months and also with fine which shall be not less than one hundred rupees and not more than five hundred rupees].

⁴[Explanation—For the purposes of this section, "enforcement of any disability" includes any discrimination on the ground of "untouchability".]

Punishment for refusing to admit persons to hospitals, etc.

5. Whoever on the ground of "untouchability"—

- (a) refuses admission to any person to any hospital, dispensary, educational institution or any hostel ⁶* * *, if such hospital, dispensary, educational institution or hostel is established or maintained for the benefit of the general public or any section thereof; or

1. Subs. by Act 106 of 1976, s. 6 for certain words (w.e.f. 19-11-1976).

2. Ins. by s. 6 *ibid.*, (w.e.f. 19-11-1976).

3. Subs. by s. 6 *ibid.*, for "taking part in any religious procession" (w.e.f. 19-11-1976).

4. Subs. by s. 7, *ibid.*, for certain words (w.e.f. 19-11-1976).

5. Ins. by s. 6, *ibid.*, (w.e.f. 19-11-1976).

6. The words "attached thereto" emitted by s. 7, *ibid.*, (w.e.f. 19-11-1976).

4. जो कोई किसी व्यक्ति के विरुद्ध निम्नलिखित के संबंध में कोई नियोग्यता "अस्पृश्यता" के आधार पर लागू करेगा ¹[वह कम से कम एक भास और अधिक से अधिक छह भास की अवधि के कारावास से और ऐसे जुमाने से भी, जो कम से कम एक सौ रुपए और अधिक से अधिक पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा],—

सामाजिक नियोग्यताएं लागू करने के लिए दण्ड।

- (i) किसी दुकान, लोक उपाहारगृह, होटल या लोक मनोरंजन-स्थान में प्रवेश करना ; अथवा
- (ii) किसी लोक उपाहारगृह, होटल, धर्मशाला, सराय या मुसाफिरखाने में, जन-साधारण, या ²[उसके किसी विभाग के] व्यक्तियों के, जिसका वह व्यक्ति हो, उपयोग के लिए रखे गए किन्हीं बर्तनों और अन्य वस्तुओं का उपयोग करना ; अथवा
- (iii) कोई वृत्ति करना या उपजीविका, ³[या किसी काम में नियोजन] ; अथवा
- (iv) ऐसी किसी नदी, जलधारा, जलस्रोत, कुएं, तालाब, हौज, पानी के नल या जल के अन्य स्थान का या किसी स्नानघाट, कब्रिस्तान या श्मशान, स्वच्छता-संबंधी सुविधा, सड़क, या रास्ते या लोक अभिगम के अन्य स्थान का, जिसका उपयोग करने के लिए या जिसमें प्रवेश करने के जनता के अन्य सदस्य, या ²[उसके किसी विभाग के] व्यक्ति जिसका वह व्यक्ति हो, अधिकारवान् हों, उपयोग करना या उसमें प्रवेश करना ; अथवा
- (v) राज्य निधियों से पूर्णतः या अंशतः पोषित पूर्ण या लोक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले या जन-साधारण के या ²[उसके किसी विभाग के] व्यक्तियों के, जिसका वह व्यक्ति हो, उपयोग के लिए समर्पित स्थान का, उपयोग करना या उसमें प्रवेश करना ; अथवा
- (vi) जन-साधारण या ²[उसके किसी विभाग के] व्यक्तियों के, जिसका वह व्यक्ति हो, फायदे के लिए सृष्ट किसी पूर्ण न्यास के अधीन किसी फायदे का उपभोग करना ; अथवा
- (vii) किसी सार्वजनिक सचारी का उपयोग करना या उसमें प्रवेश करना ; अथवा
- (viii) किसी भी परिक्षेत्र में, किसी निवास-परिसर का सन्निर्माण, अर्जन या अधिभोग करना ; अथवा
- (ix) किसी ऐसी धर्मशाला, सराय, या मुसाफिरखाने का, जो जन-साधारण या ²[उसके किसी विभाग के] व्यक्तियों के लिए, जिसका वह व्यक्ति हो, खुला हो, उपयोग ऐसे व्यक्ति के रूप में करना ; अथवा
- (x) किसी सामाजिक या धार्मिक रूढ़ि, प्रथा या कर्म का अनुपालन या ⁴[किसी धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक जलूस में भाग लेना या ऐसा जलूस निकालना] ; अथवा
- (xi) आभूषणों और अलंकारों का उपयोग करना।

¹[स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "कोई नियोग्यता लागू करना" के अन्तर्गत "अस्पृश्यता" के आधार पर विभेद करना है।]

5. जो कोई "अस्पृश्यता" के आधार पर—

- (क) किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय, शिक्षा-संस्था, या * * * किसी छात्रावास में, यदि वह अस्पताल, औषधालय, शिक्षा-संस्था या छात्रावास जन-साधारण या उसके किसी विभाग के फायदे के लिए स्थापित हो या चलाया जाता हो, प्रवेश करने देने से इन्कार करेगा, अथवा

अस्पतालों आदि में व्यक्तियों को प्रवेश करने देने से इन्कार करने के लिए दण्ड।

1. 1976 के अधिनियम सं० 106 की धारा 5 द्वारा (19-11-1976 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1976 के अधिनियम सं० 106 की धारा 6 द्वारा (19-11-1976 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1976 के अधिनियम सं० 106 की धारा 6 द्वारा (19-11-1976 से) प्रतिस्थापित।
4. 1976 के अधिनियम सं० 106 की धारा 6 द्वारा (19-11-1976 से) "किसी धार्मिक जलूस में भाग लेना" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. 1976 के अधिनियम सं० 106 की धारा 6 द्वारा (19-11-1976 से) अन्तर्स्थापित।
6. 1976 के अधिनियम सं० 106 की धारा 7 द्वारा (19-11-1976 से) "उपरोक्त संस्था" शब्दों का जोड़ किया गया।

- (b) does any act which discriminates against any such person after admission to any of the aforesaid institutions;

[shall be punishable with imprisonment for a term of not less than one month and not more than six months and also with fine which shall be not less than one hundred rupees and not more than five hundred rupees].

Imprisonment for refusing to sell goods or render services.

6. Whoever on the ground of "untouchability" refuses to sell any goods or refuses to render any service to any person at the same time and place and on the same terms and conditions at or which such goods are sold or services are rendered to other persons in the ordinary course of business [shall be punishable with imprisonment for a term of not less than one month and not more than six months and also with fine which shall be not less than one hundred rupees and not more than five hundred rupees].

Imprisonment for other offences arising out of "untouchability".

7. (1) Whoever—

- (a) prevents any person from exercising any right accruing to him by reason of the abolition of "untouchability" under article 17 of the Constitution; or
- (b) molests, injures, annoys, obstructs or causes or attempts to cause obstruction to any person in the exercise of any such right or molests, injures, annoys or boycotts any person by reason of his having exercised any such right; or
- (c) by words, either spoken or written, or by signs or by visible representations or otherwise, incites or encourages any person or class of persons or the public generally to practise "untouchability" in any form whatsoever; [or
- (d) insults or attempts to insult, on the ground of "untouchability" a member of a Scheduled Caste],

[shall be punishable with imprisonment for a term of not less than one month and not more than six months, and also with fine which shall be not less than one hundred rupees and not more than five hundred rupees].

[Explanation I].—A person shall be deemed to boycott another person who—

- (a) refuses to let to such other person or refuses to permit such other person, to use or occupy any house or land or refuses to deal with, work for hire for, or do business with, such other person or to render to him or receive from him any customary service, or refuses to do any of the said things on the terms on which such things would be customarily done in the ordinary course of business; or
- (b) abstains from such social, professional or business relations as he would ordinarily maintain with such other person.

1. *Saha*, by Act 106 of 1976, s. 7, for certain words (w.e.f. 19-11-1976).
 2. *Saha*, by s. 8, *ibid.*, for certain words (w.e.f. 19-11-1976).
 3. *Id.*, by s. 9, *ibid.*, (w.e.f. 19-11-1976).
 4. *Saha*, by *ibid.*, s. 9 for certain words (w.e.f. 19-11-1976).
 5. Renumbered by s. 9, *ibid.*, (w.e.f. 19-11-1976).

(ख) पूर्वोक्त संस्थाओं में से किसी में प्रवेश के पश्चात् ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई विवेचनपूर्ण कार्य करेगा,

[वह कम से कम एक मास और अधिक से अधिक छह मास की अवधि के कारावास से और ऐसे जुमाने से भी, जो कम से कम एक सौ रुपए और अधिक से अधिक पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा]।

6. जो कोई उसी समय और स्थान पर और वैसे ही निबन्धनों और बातों पर, जिन पर कारबार के साधारण अनुक्रम में अन्य व्यक्तियों को ऐसा माल बेचा जाता है या उनकी सेवा की जाती है किसी व्यक्ति को कोई माल बेचने या उसकी सेवा करने से "अस्पृश्यता" के आधार पर इन्कार करेगा, ²[वह कम से कम एक मास और अधिक से अधिक छह मास की अवधि के कारावास से और ऐसे जुमाने से भी, जो कम से कम एक सौ रुपए और अधिक से अधिक पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा]।

माल बेचने या करने से इन्कार के दण्ड।

7. (1) जो कोई—

(क) किसी व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 17 के अधीन "अस्पृश्यता" के अन्तर्गत होने से उसको प्रोद्भूत होने वाले किसी अधिकार का प्रयोग करने से निवारित करेगा, अथवा

(ख) किसी व्यक्ति को किसी ऐसे अधिकार के प्रयोग में उत्पीड़ित करेगा, क्षति पहुंचाएगा, क्षुब्ध करेगा, बाधा डालेगा या बाधा कारित करेगा या कारित करने का प्रयत्न करेगा या किसी व्यक्ति के, कोई ऐसा अधिकार प्रयोग करने के कारण उसे उत्पीड़ित करेगा, क्षति पहुंचाएगा, क्षुब्ध करेगा या उसका बहिष्कार करेगा, अथवा

(ग) किसी व्यक्ति या व्यक्ति-वर्ग या जन-साधारण को बोले गए या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा या अन्यथा किसी भी रूप में "अस्पृश्यता" का आचरण करने के लिए उद्दीप्त या प्रोत्साहित करेगा, ³[अथवा]

³[घ) अनुसूचित जाति के सदस्य का "अस्पृश्यता" के आधार पर अपमान करेगा, या अपमान करने का प्रयत्न करेगा ;]

⁴[वह कम से कम एक मास और अधिक से अधिक छह मास की अवधि के कारावास से और ऐसे जुमाने से भी, जो कम से कम एक सौ रुपए और अधिक से अधिक पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा]।

⁵[स्पष्टीकरण 1]—किसी व्यक्ति के बारे में समझा जाएगा कि वह अन्य व्यक्ति का बहिष्कार करता है, जब वह—

(क) ऐसे अन्य व्यक्ति को कोई गृह या भूमि पट्टे पर देने से इन्कार करता है या ऐसे अन्य व्यक्ति को किसी गृह या भूमि के उपयोग या अधिभोग के लिए अनुज्ञा देने से इन्कार करता है या ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ व्यवहार करने से, उसके लिए भाड़े पर काम करने से, या उसके साथ कारबार करने से या उसकी कोई हितगत सेवा करने से या उससे कोई हितगत सेवा लेने से इन्कार करता है या उक्त बातों में से किसी को ऐसे निबन्धनों पर करने से इन्कार करता है, जिन पर ऐसी बातें कारबार के साधारण अनुक्रम में सामान्यतः की जाती, अथवा

(ख) ऐसे सामाजिक, वृत्तिक या कारवारी सम्बन्धों से विरत रहता है, जैसे वह ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ साधारणता बनाए रखता।

1. 1976 के अधिनियम संख्यांक 106 की धारा 7 द्वारा (19-11-1976 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1976 के अधिनियम संख्यांक 106 की धारा 8 द्वारा (19-11-1976 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रहृतस्थापित।
3. 1976 के अधिनियम संख्यांक 106 की धारा 9 द्वारा (19-11-1976 से) अंतःस्थापित।
4. 1976 के अधिनियम संख्यांक 106 की धारा 9 द्वारा (19-11-1976 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. 1976 के अधिनियम संख्यांक 106 की धारा 9 द्वारा (19-11-1976 से) पून संख्यांकित।

[Explanation 1]—For the purpose of clause (c) a person shall be deemed to incite or encourage the practice of "untouchability"—

- (i) if he, directly or indirectly, preaches "untouchability" or its practice in any form; or
- (ii) if he justifies, whether on historical, philosophical or religious grounds or on the ground of any tradition of the caste system or on any other ground, the practice of "untouchability" in any form.]

[1A] Whoever commits any offence against the person or property of any individual as a reprisal or revenge for his having exercised any right accruing to him by reason of the abolition of "untouchability" under article 17 of the Constitution, shall, where the offence is punishable with imprisonment for a term exceeding two years, be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than two years and also with fine.]

(2) Whoever—

- (i) denies to any person belonging to his community or any section thereof any right or privilege to which such person would be entitled as a member of such community or section, or
- (ii) takes any part in the ex-communication of such person, on the ground that such person has refused to practise "untouchability" or that such person has done any act in furtherance of the objects of this Act,

[shall be punishable with imprisonment for a term of not less than one month and not more than six months, and also with fine which shall be not less than one hundred rupees and not more than five hundred rupees].

Unlawful compulsory labour when to be deemed to be a practice of "untouchability".

[7A. (1) Whoever compels any person, on the ground of "untouchability", to do any scavenging or sweeping or to remove any carcass or to flay any animal or to remove the umbilical cord or to do any other job of a similar nature, shall be deemed to have enforced a disability arising out of "untouchability".

(2) Whoever is deemed under sub-section (1) to have enforced a disability arising out of "untouchability" shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three months and not more than six months and also with fine which shall not be less than one hundred rupees and not more than five hundred rupees.

Explanation.—For the purposes of this section, "compulsion" includes a threat of social or economic boycott.]

Cancellation or suspension of licences in certain cases.

8. When a person who is convicted of an offence under section 6 holds any licence under any law for the time being in force in respect of any profession, trade, calling or employment in relation to which the offence is committed, the court trying the offence may, without prejudice to any other penalty to which such person may be liable under that section, direct that the licence shall stand cancelled or be suspended for such period as the court may deem fit, and every order of the court so cancelling or suspending a licence shall have effect as if it had been passed by the authority competent to cancel or suspend the licence under any such law.

1. Ins. by Act, 106 of 1976, s. 2 (w.e.f. 19-11-1976).
 2. Subs. by s. 9, *ibid.*, for certain words (w.e.f. 19-11-1976).
 3. Ins. by s. 10, *ibid.*, (w.e.f. 19-11-1976).

¹[स्पष्टीकरण 2—खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिए यदि कोई व्यक्ति—

- (i) प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः "अस्पृश्यता" का या किसी रूप में इसके आचरण का प्रचार करेगा, अथवा
- (ii) किसी रूप में "अस्पृश्यता" के आचरण को, चाहे ऐतिहासिक, दार्शनिक या धार्मिक आधारों पर या जाति व्यवस्था की किसी परम्परा के आधार पर या किसी अन्य आधार पर न्यायोचित ठहराएगा,

तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह "अस्पृश्यता" के आचरण को उद्दीप्त या प्रोत्साहित करता है।]

¹[(1क) जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर या उसकी सम्पत्ति के विरुद्ध कोई अपराध उसके द्वारा किसी ऐसे अधिकार, जो संविधान के अनुच्छेद 17 के अधीन "अस्पृश्यता" का अन्त करने के कारण उसे प्रोद्भूत हुआ है, प्रयोग किए जाने के प्रतिरोध के रूप में या बदला लेने की भावना से करेगा, वह, जहां अपराध दो वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय है, वहां, कम से कम दो वर्ष की अवधि के कारावास से और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा।]

(2) जो कोई इस आधार पर कि ऐसे व्यक्ति ने "अस्पृश्यता" का आचरण करने से इन्कार किया है या ऐसे व्यक्ति ने इस अधिनियम के उद्देश्यों को अग्रसर करने में कोई कार्य किया है,—

- (i) अपने समुदाय के या उसके किसी विभाग के किसी व्यक्ति को किसी ऐसे अधिकार या विशेषाधिकार से वंचित करेगा, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति ऐसे समुदाय या विभाग के सदस्य के तौर पर हकदार हो, अथवा

(ii) ऐसे व्यक्ति को जातिच्युत करने में कोई भाग लेगा,

²[वह कम से कम एक मास और अधिक से अधिक छह मास की अवधि के कारावास से और ऐसे जुर्माने से भी, जो कम से कम एक सौ रुपए और अधिक से अधिक पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।]

³[7क. (1) जो कोई किसी व्यक्ति को सफाई करने या बुहारने या कोई पशु शव हटाने या किसी पशु की खाल खींचने या नाल काटने या इसी प्रकार का कोई अन्य काम करने के लिए "अस्पृश्यता" के आधार पर मजबूर करेगा, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने "अस्पृश्यता" से उद्भूत नियोग्यता को लागू किया है।

विधिविरुद्ध अनियमित रूप से कब "अस्पृश्यता" का आचरण समझा जाएगा।

(2) जिस किसी के बारे में उपधारा (1) के अधीन यह समझा जाता है कि उसने "अस्पृश्यता" से उद्भूत नियोग्यता को लागू किया है, वह कम से कम तीन मास और अधिक से अधिक छह मास की अवधि के कारावास से और जुर्माने से भी, जो कम से कम एक सौ रुपए और अधिक से अधिक पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "मजबूर करने" के अन्तर्गत सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करने की धमकी भी है।]

8. जब कि वह व्यक्ति, जो धारा 6 के अधीन किसी अपराध का दोषसिद्ध हो, किसी ऐसी वृत्ति, व्यापार, आजीविका या नियोजन के बारे में जिसके सम्बन्ध में अपराध किया गया हो, कोई अनुज्ञप्ति किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रखता हो, तब उस अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय किसी अन्य ऐसी शास्ति पर, जिससे वह व्यक्ति उस धारा के अधीन दण्डनीय हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निदेश दे सकेगा कि वह अनुज्ञप्ति रद्द होगी या ऐसी कालावधि के लिए, जितनी न्यायालय ठीक समझे, निलम्बित रहेगी, और अनुज्ञप्ति को इस प्रकार रद्द या निलम्बित करने वाले न्यायालय का प्रत्येक आदेश ऐसे प्रभावी होगा, मानो वह आदेश उस प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो किसी ऐसी विधि के अधीन अनुज्ञप्ति को रद्द या निलम्बित करने के लिए सक्षम था।

कछ दस्तावेजों में अनुज्ञप्तियों का रद्द निलम्बित किया जा

1. 1976 के अधिनियम संख्यांक 106 की धारा 9 द्वारा (10-11-1976 से) अंतःस्थापित।
2. 1976 के अधिनियम संख्यांक 106 की धारा 9 द्वारा (19-11-1976 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1976 के अधिनियम संख्यांक 106 की धारा 10 द्वारा (19-11-1976 से) अंतःस्थापित।

Explanation.—In this section, "license" includes a permit or a permission.

Resumption or suspension of grants made by Government

9. Where the manager or trustee of a place of public worship (or any educational institution or hostel) which is in receipt of a grant of land or money from the Government is convicted of an offence under this Act and such conviction is not reversed or quashed in any appeal or revision, the Government may, if in its opinion the circumstances of the case warrant such a course, direct the suspension or resumption of the whole or any part of such grant.

Abetment of offence.

10. Whoever abets any offence under this Act shall be punishable with the punishment provided for the offence.

[*Explanation.*—A public servant who wilfully neglects the investigation of any offence punishable under this Act shall be deemed to have abetted an offence punishable under this Act.]

Power of State Government to impose collective fine.

[10A. (1) If, after an inquiry in the prescribed manner, the State Government is satisfied that the inhabitants of an area are concerned in, or abetting the commission of, any offence punishable under this Act, or harbouring persons concerned in the commission of such offence or failing to render all the assistance in their power to discover or apprehend the offender or offenders or suppressing material evidence of the commission of such offence, the State Government may, by notification in the Official Gazette, impose a collective fine on such inhabitants and apportion such fine amongst the inhabitants who are liable collectively to pay it, and such apportionment shall be made according to the State Government's judgment of the respective means of such inhabitants and in making any such apportionment the State Government may assign a portion of such fine to a Hindu undivided family to be payable by it:

Provided that the fine apportioned to an inhabitant shall not be realised until the petition, if any, filed by him under sub-section (3) is disposed of.

(2) The notification made under sub-section (1) shall be proclaimed in the area by beat of drum or in such other manner as the State Government may think best in the circumstances to bring the imposition of the collective fine to the notice of the inhabitants of the said area.

(3) (a) Any person aggrieved by the imposition of the collective fine under sub-section (1) or by the order of apportionment may, within the prescribed period, file a petition before the State Government or such other authority as that Government may specify in this behalf for being exempted from such fine or for modification of the order of apportionment:

Provided that no fee shall be charged for filing such petition.

(b) The State Government or the authority specified by it shall, after giving to the petitioner a reasonable opportunity of being heard, pass such order as it may think fit:

Provided that the amount of the fine exempted or reduced under this section shall not be realisable from any person, and the total fine imposed on the inhabitants of an area under sub-section (1) shall be deemed to have been reduced to that extent.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (3), the State Government may exempt the victims of any offence punishable under this Act or any person who does not, in its opinion, fall within the category of persons specified in sub-section (1), from the liability to pay the collective fine imposed under sub-section (1) or any portion thereof.

1. Ins. by Act 106 of 1976, s. 11 (w.e.f. 19-11-1976).
2. Ins. by s. 12, *ibid.*, (w.e.f. 19-11-1976).
3. Ins. by s. 13, *ibid.*, (w.e.f. 19-11-1976).

स्पष्टीकरण—इस धारा में "अभूतपूर्व" के अन्वय में अनुज्ञापत्र या अनुज्ञा भी है।

9. जहाँ कि किसी ऐसे [या किसी शिक्षा संस्था या छात्रावास] का प्रबन्धक या न्यासी जिसे सरकार से भूमि या धन का अनुदान प्राप्त हो, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध हुआ हो और ऐसी दोषसिद्धि किसी अपील या पुनरीक्षण में उलटी या अभिखण्डित न की गई हो वहाँ, यदि सरकार की राय में उस मामले की परिस्थितियों में ऐसा करने के लिए समुचित आधा-र हो तो वह ऐसे सारे अनुदान या उसके किसी भाग के निवन्धन या पुनर्ग्रहण के लिए निदेश दे सकेगी।

सरकार द्वारा किए गए अनुदानों का पुनर्ग्रहण या निवन्धन।

10. जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, वह उस अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड से दण्डनीय होगा।

अपराध का दुष्प्रेरण।

²[स्पष्टीकरण—लोक सेवक के बारे में, जो इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के अन्वेषण में जानबूझकर उपेक्षा करता है, यह समझा जाएगा कि उसने इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण किया है।]

³[10क. (1) यदि विहित रीति में जांच करने के पश्चात्, राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किसी क्षेत्र के निवासी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए जाने से सम्बन्धित हैं, या उसका दुष्प्रेरण कर रहे हैं, या ऐसे अपराध के लिए जाने से संबंधित व्यक्तियों को संश्रय दे रहे हैं, या अपराधी या अपराधियों का पता लगाने या पकड़वाने में अपनी शक्ति के अनुसार सभी प्रकार की सहायता नहीं दे रहे हैं, या ऐसे अपराध के लिए जाने के महत्वपूर्ण साक्ष्य को दबा रहे हैं, तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे निवासियों पर सामूहिक जुर्माना अधिरोपित कर सकेगी और जुर्माने का ऐसे निवासियों के बीच प्रभाजन कर सकेगी जो सामूहिक रूप से ऐसा जुर्माना देने के लिए दायी हैं और यह कार्य राज्य सरकार वहाँ के निवासियों की व्यक्तिगत क्षमता के संबंध में अपने निर्णय के अनुसार करेगी और ऐसा प्रभाजन करने में राज्य सरकार यह भी तय कर सकेगी कि एक हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब ऐसे जुर्माने के कितने भाग का संदाय करेगा :

सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति।

परन्तु किसी निवासी के बारे में प्रभाजित जुर्माना तब तक वसूल नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसके द्वारा उपधारा (3) के अधीन फाइल की गई अर्जी का निपटारा नहीं कर दिया जाता।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना की उद्घोषणा ऐसे क्षेत्र में डोल पीट कर या ऐसी अन्य रीति से की जाएगी, जिसे राज्य सरकार उक्त क्षेत्र के निवासियों को सामूहिक जुर्माने का अधिरोपण सूचित करने के लिए उन परिस्थितियों में, सर्वोत्तम समझे।

(3)(क) उपधारा (1) के अधीन सामूहिक जुर्माने के अधिरोपण से या प्रभाजन के आदेश से व्याधित कोई व्यक्ति विहित कालावधि के अन्दर राज्य सरकार के समक्ष या ऐसे अन्य प्राधिकारी के समक्ष जिसे वह सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, ऐसे जुर्माने से छूट पाने के लिए या प्रभाजन के आदेश में परिवर्तन के लिए अर्जी फाइल कर सकेगा :

परन्तु ऐसी अर्जी फाइल करने के लिए कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।

(ख) राज्य सरकार या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अर्जीदार को सुनवाई के लिए युक्तियुक्त व्यवस्था प्रदान करने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित करेगा, जो उचित समझे :

परन्तु इस धारा के अधीन छूट दी गई या कम की गई जुर्माने की रकम किसी व्यक्ति से वसूलनीय नहीं होगी और किसी क्षेत्र के निवासियों पर उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित कुल जुर्माना उस विस्तार तक कम किया गया समझा जाएगा।

(4) उपधारा (3) में किला बहा के होते हुए भी राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के शिक्षण व्यक्तियों को या किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उसकी राय में उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के वर्ग में नहीं आता है, उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित सामूहिक जुर्माने से या उसके किसी प्रभाग का संदाय करने से धार्मिक से छूट दे सकेगी।

1. 1976 के अधिनियम संख्यांक 106 की धारा 11 द्वारा (19-11-1975 से) संशोधित।
2. 1976 के अधिनियम संख्यांक 106 की धारा 12 द्वारा (15-11-1975 से) संशोधित।
3. 1976 के अधिनियम संख्यांक 106 की धारा 13 द्वारा (15-11-1975 से) संशोधित।

(5) The portion of collective fine payable by any person (including a Hindu undivided family) may be recovered in the manner provided by the Code of Criminal Procedure, 1973, for the recovery of fines imposed by a Court as if 2 of 1974 such portion were a fine imposed by a Magistrate.]

Second penalty
Subsequent
offence.

11. Whoever having already been convicted of an offence under this Act or of an abetment of such offence is again convicted of any such offence or abetment, [shall, on conviction, be punishable—

(a) for the second offence, with imprisonment for a term of not less than six months and not more than one year, and also with fine which shall be not less than two hundred rupees and not more than five hundred rupees;

(b) for the third offence or any offence subsequent to the third offence, with imprisonment for a term of not less than one year and not more than two years, and also with fine which shall be not less than five hundred rupees and not more than one thousand rupees].

Presumption by
courts in certain
cases.

12. Where any act constituting an offence under this Act is committed in relation to a member of a Scheduled Caste * * *, the court shall presume, unless the contrary is proved, that such act was committed on the ground of "untouchability".

Limitation of juri-
isdiction of civil
courts.

13. (1) No civil court shall entertain or continue any suit or proceeding or shall pass any decree or order or execute wholly or partially any decree or order if the claim involved in such suit or proceeding or if the passing of such decree or order or if such execution would in any way be contrary to the provisions of this Act.

(2) No court shall, in adjudicating any matter or executing any decree or order, recognise any custom or usage imposing any disability on any person on the ground of "untouchability".

Offences by com-
panies.

14. (1) If the person committing an offence under this Act is a company, every person who at the time the offence was committed was a charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed with the consent of any director or manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

1. Subs. by Act 106 of 1976, s. 14, for certain words (w.e.f. 19-11-1976).

2. The words "as defined in clause (2A) of article 366 of Constitution" omitted by s. 15, *ibid.*, (w.e.f. 19-11-1976).

1974 का 2

(5) किसी व्यक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब है) संदेय सामूहिक जुमाने का प्रभाग, न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुमाने की वसूली के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा उपबन्धित रीति में ऐसे वसूल किया जा सकेगा मानो ऐसा प्रभाग मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित जुमाना हो।]

11. जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का या ऐसे अपराध के दुष्परण का पहले दोषसिद्ध हो चुकने पर किसी ऐसे अपराध या दुष्परण का पुनः दोषसिद्ध होगा

पश्चात्पूर्वी दोष-
शास्ति।

¹[वह दोषसिद्धि पर—

- (क) द्वितीय अपराध के लिए, कम से कम छह मास और अधिक से अधिक एक वर्ष की अवधि के कारावास से और जुमाने से भी, जो कम से कम दो सौ रुपए और अधिक से अधिक पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा;
- (ख) तृतीय अपराध के लिए या तृतीय अपराध के पश्चात्पूर्वी किसी अपराध के लिए, कम से कम एक वर्ष और अधिक से अधिक दो वर्ष की अवधि के कारावास से और जुमाने से भी, जो कम से कम पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।]

12. जहां कि इस अधिनियम के अधीन अपराध गठित करने वाला कोई कार्य ²* * * अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया जाए वहां, जब तक कि प्रतिकूल साबित न किया जाए, न्यायालय यह उपघात करेगा कि वह कार्य "अस्पृश्यता" के आधार पर किया गया है।

कुछ मामलों में न्याया-
लयों द्वारा उपघात।

13. (1) यदि सिविल न्यायालय के समक्ष के किसी वाद या कार्यवाही में अन्तर्ग्रस्त दावा या किसी डिक्री या आदेश का दिया जाना या किसी डिक्री या आदेश का पूर्णतः या भागतः निष्पादन इस अधिनियम के उपबन्धों के किसी प्रकार प्रतिकूल हो तो ऐसा न्यायालय न ऐसा कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करेगा या चालू रखेगा और न ऐसी कोई डिक्री या आदेश देगा या ऐसी किसी डिक्री या आदेश का पूर्णतः या भागतः निष्पादन करेगा।

सिविल न्यायालयों को
अधिकारिता की
परिसेमा।

(2) कोई न्यायालय किसी बात के न्यायनिर्णयन में या किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में, किसी व्यक्ति पर "अस्पृश्यता" के आधार पर कोई निर्बोध्यता अधिरोपित करने वाली किसी रुढ़ि या प्रथा को मान्यता नहीं देगा।

14. (1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो तो हर ऐसा व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उस कम्पनी के प्रति उत्तरदायी था, उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा :

कम्पनियों द्वारा
अपराध।

परन्तु इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी भी बात से कोई ऐसा व्यक्ति दण्ड का भागी न होगा, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या ऐसे अपराध का किया जाना निवारित करने के लिए उसने सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कम्पनी के किसी निदेशक या प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति से किया गया हो, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा, और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

1. 1976 के अधिनियम संख्यांक 106 की धारा 14 द्वारा (19-11-1976 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. 1976 के अधिनियम संख्यांक 106 की धारा 15 द्वारा (19-11-1976 से) "संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (2A) में यथापरिभाषित" शब्दों का जोड़ किया गया।

Explanation.—For the purposes of this section,—

(a) “company” means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; and

(b) “director” in relation to a firm means a partner in the firm.

Protection of action taken in good faith. ¹[14A. (1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Central Government or a State Government for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

(2) No suit or other legal proceeding shall lie against the Central Government or a State Government for any damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.]

Offences to be cognizable and triable summarily. ²[15. (1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, every offence punishable under this Act shall be cognizable and every such offence, except where it is punishable with imprisonment for a minimum term exceeding three months, may be tried summarily by a Judicial Magistrate of the first class or in a metropolitan area by a Metropolitan Magistrate in accordance with the procedure specified in the said Code.

(2) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, when any public servant is alleged to have committed the offence of abetment of an offence punishable under this Act, while acting or purporting to act in the discharge of his official duty, no court shall take cognizance of such offence of abetment except with the previous sanction—

(a) of the Central Government, in the case of a person employed in connection with the affairs of the Union; and

(b) of the State Government, in the case of a person employed in connection with the affairs of a State.

Duty of State Government to ensure that the rights accruing from the abolition of “untouchability” may be availed of by the concerned persons. 15A. (1) Subject to such rules as the Central Government may make in this behalf, the State Government shall take such measures as may be necessary for ensuring that the rights arising from the abolition of “untouchability” are made available to, and are availed of by, the persons subjected to any disability arising out of “untouchability”.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), such measures may include—

(i) the provision of adequate facilities, including legal aid, to the persons subjected to any disability arising out of “untouchability” to enable them to avail themselves of such rights;

(ii) the appointment of officers for initiating or exercising supervision over prosecutions for the contravention of the provisions of this Act;

(iii) the setting up of special courts for the trial of offences under this Act;

(iv) the setting up of Committees at such appropriate levels as the State Government may think fit to assist the State Government in formulating or implementing such measures;

1. Ins. by Act 106 of 1976, s. 16 (w.e.f. 19-11-1976).

2. Subs. by s. 17, *ibid.*, for s. 15 (w.e.f. 19-11-1976).

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

- (क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम भी है; तथा
(ख) फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" से फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

¹[14क. (1) कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशयित हो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विरुद्ध न होगी।

सद्भावपूर्वक कार्यवाही संरक्षण।

(2) कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसे नुकसान के बारे में, जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के कारण हुआ हो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विरुद्ध न होगी।]

1974 का 2

²[15. (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय हर अपराध संज्ञेय होगा और ऐसे हर अपराध पर, सिवाय उसके जो कम से कम तीन मास से अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय है, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त संहिता में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार संक्षेपतः विचार किया जा सकेगा।

अपराध संज्ञेय संक्षेपतः विचारणीय है।

1974 का 2

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, जब किसी लोक सेवक के बारे में यह अभिकथित है कि उसने इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के दुष्प्रेरण का अपराध अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करना तात्पर्यित करते हुए, किया है तब कोई भी न्यायालय ऐसे दुष्प्रेरण के अपराध का संज्ञान,—

- (क) संघ के कार्यों के सम्बन्ध में नियोजित व्यक्ति की दशा में, केन्द्रीय सरकार की; और
(ख) किसी राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में नियोजित व्यक्ति की दशा में, उस राज्य सरकार की,

पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा।

15क. (1) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त बनाए, राज्य सरकार ऐसे उपाय करेगी, जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों, कि "अस्पृश्यता" का अन्त करने से उद्भूत होने वाले अधिकार "अस्पृश्यता" से उद्भूत किसी नियोग्यता से पीड़ित व्यक्तियों को उपलब्ध किए जाते हैं और वे उनका फायदा उठाते हैं।

"अस्पृश्यता" का अन्त करने से उद्भूत अधिकारों का संवेधित व्यक्तियों द्वारा फायदा उठाना सुनिश्चित करने का राज्य सरकार का कर्तव्य।

(2) विधिद्वारा और उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे उपायों के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं, अर्थात्:—

- (i) पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था जिसके अन्तर्गत "अस्पृश्यता" से उद्भूत किसी नियोग्यता से पीड़ित व्यक्तियों को विधिक सहायता देना है, जिससे कि वे ऐसे अधिकारों का फायदा उठा सकें;
(ii) इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए अभियोजन प्रारम्भ करने या ऐसे अभियोजनों का पर्यवेक्षण करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति;
(iii) इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना;
(iv) ऐसे समुचित स्तरों पर समितियों की स्थापना जो राज्य सरकार ऐसे उपायों के निरूपण या उन्हें कार्यान्वित करने में राज्य सरकार की सहायता करने के लिए ठीक समझे;

1. 1976 के अधिनियम संख्यांक 106 की धारा 16 द्वारा (19-11-1976 से) अंतःस्थापित।

2. 1976 के अधिनियम संख्यांक 106 की धारा 17 द्वारा धारा 15 के स्थान पर (19-11-1976 से) प्रतिस्थापित।

(v) provision for a periodic survey of the working of the provisions of this Act with a view to suggesting measures for the better implementation of the provisions of this Act;

(vi) the identification of the areas where persons are under any disability arising out of "untouchability" and adoption of such measures as would ensure the removal of such disability from such areas.

(3) The Central Government shall take such steps as may be necessary to co-ordinate the measures taken by the State Governments under sub-section (1).

(4) The Central Government shall, every year, place on the Table of each House of Parliament, a report on the measures taken by itself and by the State Governments in pursuance of the provisions of this section.]

Act to override other laws.

16. Save as otherwise expressly provided in this Act, the provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force, or any custom or usage or any instrument having effect by virtue of any such law or any decree or order of any court or other authority.

Probation of Offenders Act, 1958, not to apply to persons above the age of fourteen years.

[16A. The provisions of the Probation of Offenders Act, 1958, shall not apply to any person above the age of fourteen years who is found guilty of having committed any offence punishable under this Act. 20 of 1958

Power to make rules.

16B. (1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.

(2) Every rule made by the Central Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.]

Repeal.

17. The enactments specified in the Schedule are hereby repealed to the extent to which they or any of the provisions contained therein correspond or are repugnant to this Act or to any of the provisions contained therein.

THE SCHEDULE

(See section 17)

1. The Bihar Harijan (Removal of Civil Disabilities) Act, 1949 (Bihar Act XIX of 1949).
2. The Bombay Harijan (Removal of Social Disabilities) Act, 1946 (Bombay Act X of 1947).
3. The Bombay Harijan Temple Entry Act, 1947 (Bombay Act XXXV of 1947).

- (v) इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यन्वयन के लिए उपाय सुझाने की दृष्टि से इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के अर्थपूर्ण की समय-समय पर, व्यवस्था करना;
- (vi) उच्च क्षेत्रों का अधिनियम जहाँ व्यक्ति "अल्पवयस्क" से उच्च किसी निर्वैधता से पीड़ित है, और ऐसे उपायों को अपनाना जिनसे ऐसे क्षेत्रों से ऐसी नियोज्यता का दूर किया जाना सुनिश्चित हो सके।
- (3) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों द्वारा उपधारा (1) के अधीन किए गए उपायों में सम्मन्वय स्थापित करने के लिए ऐसे कदम उठाएगी जो आवश्यक हों।
- (4) केन्द्रीय सरकार हर वर्ष संसद् के प्रत्येक सदन के पटल पर ऐसे उपायों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जो उसने और राज्य सरकारों ने इस धारा के उपबन्धों के अनुसरण में किए हैं।]

16. इस अधिनियम में अधिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबन्ध, किसी तत्समय प्रवृत्त विधि में उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी या किसी रूढ़ि या प्रथा अथवा किसी ऐसी विधि अथवा किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी की किसी डिक्री या आदेश के आधार पर प्रभावी किसी लिखित के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

अधिनियम अन्य विधियों का अन्वयन करने का।

1958 का 20

[16 क. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के उपबन्ध किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, जो चौदह वर्ष से अधिक आयु का है और इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने का दोषी पाया जाता है।

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का चौदह वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को लागू न होना।

16ख. (1) केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों का पालन करने के लिए नियम बना सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति।

(2) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के, या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।]

17. अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमवृत्तियाँ, जहाँ तक कि वे या उनमें अन्तर्बिष्ट उपबन्धों में से कोई इस अधिनियम या उसमें अन्तर्बिष्ट उपबन्धों में से किसी के समान हैं या उसके विरुद्ध हैं, एतद्द्वारा निरसित की जाती हैं।

निरसित।

अनुसूची

(धारा 17 देखिए)

1. बिहार हरिजन (रिभूवल आफ सिविल डिसेबिलिटीज) ऐक्ट, 1949 (1949 का बिहार अधिनियम संख्यांक 19)।
2. बांग्घे हरिजन (रिभूवल आफ सोशल डिसेबिलिटीज) ऐक्ट, 1946 (1947 का मुंबई अधिनियम संख्यांक 10)।
3. बांग्घे हरिजन टेम्पल एण्ट्री ऐक्ट, 1947 (1947 का मुंबई अधिनियम संख्यांक 35)।

1. 1976 के अधिनियम संख्यांक 10 की धारा 18 द्वारा (19-11-1976 से) अंतःस्थापित।

4. The Central Provinces and Berar Scheduled Castes (Removal of Civil Disabilities) Act, 1947 (Central Provinces and Berar Act XXIV of 1947).
 5. The Central Provinces and Berar Temple Entry Authorisation Act, 1947 (Central Provinces and Berar Act XLI of 1947).
 6. The East Punjab (Removal of Religious and Social Disabilities) Act, 1948 (East Punjab Act XVI of 1948).
 7. The Madras Removal of Civil Disabilities Act, 1938 (Madras Act XXI of 1938).
 8. The Orissa Removal of Civil Disabilities Act, 1946 (Orissa Act XI of 1946).
 9. The Orissa Temple Entry Authorisation Act, 1948 (Orissa Act XI of 1948).
 10. The United Provinces Removal of Social Disabilities Act, 1947 (U.F. Act XIV of 1947).
 11. The West Bengal Hindu Social Disabilities Removal Act, 1948 (West Bengal Act XXXVII of 1948).
 12. The Hyderabad Harijan Temple Entry Regulations, 1358F (No. LV of 1358 Fashi).
 13. The Hyderabad Harijan (Removal of Social Disabilities) Regulation, 1358F (No. LVI of 1358 Fashi).
 14. The Madhya Bharat Harijan Ayogta Nivaran Vidhan, Samvat 2005 (Madhya Bharat Act No. 15 of 1949).
 15. The Removal of Civil Disabilities Act, 1943 (Mysore Act XLII of 1943).
 16. The Mysore Temple Entry Authorisation Act, 1948 (Mysore Act XIV of 1948).
 17. The Saurashtra Harijan (Removal of Social Disabilities) Ordinance (No. XL of 1948).
 18. The Travancore-Cochin Removal of Social Disabilities Act, 1125 (Travancore-Cochin Act VIII of 1125).
 19. The Travancore-Cochin Temple Entry. Removal of Disabilities Act, 1950 (Travancore-Cochin Act XXVII of 1950).
 20. The Coorg Scheduled Castes (Removal of Civil and Social Disabilities) Act, 1949 (Coorg Act I of 1949).
 21. The Coorg Temple Entry Authorisation Act, 1949 (Coorg Act II of 1949).
-

4. सेंट्रल प्रोविन्सेज एण्ड बैरार शेड्यूल्ड कास्ट्स (रिमूवल आफ सिविल डिसेबिलिटीज) ऐक्ट, 1947 (1947 का मध्यप्रान्त और बरार अधिनियम, संख्यांक 24) ।
5. सेंट्रल प्रोविन्सेज एण्ड बैरार टैम्पल ऐन्ट्री आथोराइजेशन ऐक्ट, 1947 (1947 का मध्य प्रान्त और बरार अधिनियम, संख्यांक 41) ।
6. ईस्ट पंजाब (रिमूवल आफ रिलीजस एण्ड सोशल डिसेबिलिटीज) ऐक्ट, 1948 (1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम संख्यांक 16) ।
7. मद्रास रिमूवल आफ सिविल डिसेबिलिटीज ऐक्ट, 1938 (1938 का मद्रास अधिनियम संख्यांक 21) ।
8. उड़ीसा रिमूवल आफ सिविल डिसेबिलिटीज ऐक्ट, 1946 (1946 का उड़ीसा अधिनियम संख्यांक 11) ।
9. उड़ीसा टैम्पल ऐन्ट्री आथोराइजेशन ऐक्ट, 1948 (1948 का उड़ीसा अधिनियम संख्यांक 11) ।
10. यूनाइटेड प्रोविन्सेज रिमूवल आफ सोशल डिसेबिलिटीज ऐक्ट, 1947 (1947 का संयुक्त प्रांत अधिनियम संख्यांक 14) ।
11. वेस्ट बंगाल हिन्दू सोशल डिसेबिलिटीज रिमूवल ऐक्ट, 1948 (1948 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम संख्यांक 37) ।
12. हैदराबाद हरिजन टैम्पल ऐन्ट्री रेगुलेशन, 1358 फ. (1358 फसली का अधिनियम संख्यांक 55) ।
13. हैदराबाद हरिजन (रिमूवल आफ सोशल डिसेबिलिटीज) रेगुलेशन, 1358 फ. (1358 फसली का अधिनियम संख्यांक 56) ।
14. मध्य भारत हरिजन अयोग्यता निवारण विधान, संवत् 2005 (1949 का मध्य भारत अधिनियम संख्यांक 15) ।
15. रिमूवल आफ सिविल डिसेबिलिटीज ऐक्ट, 1943 (1946 का मैसूर अधिनियम संख्यांक 42) ।
16. मैसूर टैम्पल ऐन्ट्री आथोराइजेशन ऐक्ट, 1948 (1948 का मैसूर अधिनियम संख्यांक 14) ।
17. सौराष्ट्र हरीजन (रिमूवल आफ सोशल डिसेबिलिटीज) आर्डिनेन्स, (1948 का संख्यांक 40) ।
18. द्रावणकोर-कोचीन रिमूवल आफ सोशल डिसेबिलिटीज ऐक्ट, 1125 म.सं. (मं सं. 1125 का त्रिवांकूर कोचीन अधिनियम संख्यांक 8) ।
19. द्रावणकोर-कोचीन टैम्पल ऐन्ट्री (रिमूवल आफ डिसेबिलिटीज) ऐक्ट, 1950 (1950 का त्रिवांकूर कोचीन अधिनियम संख्यांक 27) ।
20. कुर्ग शेड्यूल्ड कास्ट्स (रिमूवल आफ सिविल एण्ड सोशल डिसेबिलिटीज) ऐक्ट, 1949 (1949 का कुडुगू अधिनियम संख्यांक 1) ।
21. कुर्ग टैम्पल ऐन्ट्री आथोराइजेशन ऐक्ट, 1949 (1949 का कुडुगू अधिनियम संख्यांक 2) ।